जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : जविप्रा / अआ / एलपीसी / 18 / डी– 277 दिनांकः 28.4.18

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.01.17 की पालना में प्राधिकरण के आदेश क्रमांक जविप्रा / अआ / एलपीसी / 17 / डी–324 दिनांक 17.04.17 से दिनांक 12.01.17 के पश्चात् चरागाह भूमि के किये गये आवंटन को आरक्षण शब्द से प्रतिस्थापित किये जाने के आदेश जारी किये गये थे। अतिरिक्त महाधिवक्ता से प्राप्त राय दिनांक 31.01.18 व निदेशक (विधि) से प्राप्त पत्र दिनांक 23.02.18 के अनुसार प्राधिकरण क्षेत्राधिकार की चरागाह भूमि का आवंटन माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से प्रभावित नहीं होने के कारण आवंटन की कार्यवाही की जा सकती है। अतः आदेश क्रमांक डी–324 दिनांक 17.04.17 को प्रत्याहारित किया जाकर प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 142वीं बैठक दिनांक 26.03.18 में लिये गये निर्णयानुसार आदेशित किया जाता है कि ऐसे समस्त प्रकरण (श्मशान / कब्रिस्तान हेतु आरक्षित भूमि को छोड़कर) जिनमें चरागाह होने से आरक्षण करने का निर्णय लिया गया था, उनमें नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जावें।

उक्त आदेश आयुक्त महोदय से पुष्ट है।

(एच. गुईटे)
सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जविप्रा, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी), जविप्रा, जयपुर।
4. उपायुक्त जोन–1 से 14, जविप्रा, जयपुर।

अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
जविप्रा, जयपुर।

D:\Lpc Work\LPC Letter & UO Note\Letter\Letter 2018.docx